

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(मो०)/537/2002- 64/18-19 9-4-19

/राँची, दिनांक 13/02/19

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्डू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- गढ़वा जिलान्तर्गत चटनियाघाट जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं शाखा नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 600.66 लाख (रू० छः करोड़ छियासठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत चटनियाघाट जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं शाखा नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 600.66 लाख (रू० छः करोड़ छियासठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- इस योजना में बाँध से दो शाखा नहरें निकलती है। बांयी शाखा नहर की कुल लम्बाई 2.64 कि०मी० है तथा दांयी शाखा नहर की कुल लम्बाई 3.33 कि०मी० है।
- योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, विगत वर्षों में औसतन सिंचाई उपलब्धि एवं पुनरुद्धार कार्य के उपरान्त निम्नवत् सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल होगी -

	खरीफ (हे०)
(i) रूपांकित सिंचाई क्षमता	- 425
(ii) सिंचाई उपलब्धि	- 200
(iii) पुनरुद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	- 225
(iv) पुनरुद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	- 425 (100%)

- इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे -

- (i) चटनियाघाट जलाशय योजना के बांयी शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 2.64 कि०मी० तक पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य।
- (ii) चटनियाघाट जलाशय योजना के दांयी शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 3.33 कि०मी० तक पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य।

- (iii) बांयी शाखा नहर के चेन सं०-86 से निःसृत Water Course का पुनरुद्धार कार्य।
- (iv) डैम को Rain-cut से बचाने हेतु horizontal एवं vertical drain का निर्माण कार्य।
- (v) डैम के D/S में slope में सीढ़ी का निर्माण कार्य।
- (vi) योजनान्तर्गत विभिन्न संरचनाएँ यथा CD, RCC Culvert, Hume Pipe Outlet, Well type Escape का निर्माण/मरम्मत कार्य।
6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा इस योजना के जीर्णोद्धार एवं शाखा नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 600.66 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी अवयववार विवरणी निम्नवत् है -

Sl. No.	Component	Particulars		Amount (in Rs.)
	Head Works (Part-1)			
1		Construction of horizontal & vertical drain and dam fill in rain cut		1856756.64
2		Construction of stair on slope of dam in D/S		130698.25
	Canal Works (Part-II)			
1	Earth work	Bed clearance and bank strengthening of right and left canal		6927729.38
2	C.D.	3'0" dia Hume pipe CD at left and right canal	12 Nos.	1765272.24
3	Bridge	Construction of RCC culvert	4 Nos.	2195503.84
4	Outlet	Construction of Hume pipe outlet 0'6" dia	42 Nos.	1915969.86
5	Lining	Lining work of left and right canal		37937587.02
6	Water Course	Restoration of water courses at ch. 86 in left canal		47636.68
7	Escape	Construction of well type escape at tail end of left canal		60797.69
		Total :-		52837951.60
		Add : GST - 12%		6340554.19
		Total :-		59178505.79
		Add : Labour Cess - 1%		591785.06
		Add : 0.50% for Contingency		295892.53
		Grand Total :-		60066183.38
		Say :-		Rs. 600.66 lakh


7. यह कार्य वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ कर वर्ष 2019-20 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड 49S-4701-80-800-54-05-45)

10. इस योजना का कार्यान्वयन कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर उँटारी (गढ़वा) द्वारा कराया जायेगा। इस कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर उँटारी (गढ़वा) होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. कार्य के लिये राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।
13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
16. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(अरुण कुमार सिंह) 12.2.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:- मु०अ०(मो०)/537/2002- 64/18-19 य.स.व। /राँची, दिनांक 13/02/2019


प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव


पत्रांक:- मु०अ०(मो०)/537/2002- 6.4/18-19 प्र. 5वी. /राँची, दिनांक 13/02/2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव


पत्रांक:- मु०अ०(मो०)/537/2002- 6.4/18-19 प्र. 5वी. /राँची, दिनांक 13/02/2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर उँटारी (गढ़वा)/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव


पत्रांक:- मु०अ०(मो०)/537/2002- 6.4/18-19 प्र. 5वी. /राँची, दिनांक 13/02/2019

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

पत्रांक:- मु०अ०(मो०)/537/2002- 6.4/18-19 प्र. 5वी. /राँची, दिनांक 13/02/2019

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन, विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव